रस जस्ट्री डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 1973/फाल्गुन 4, 1894

No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 1973/PHALGUNA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd February 1978

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1972—March 1973 (Amendment No. 49).*

No. 28-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Volume II for the period April 1972—March 1973, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972.

2. As the work relating to the Import of rough diamonds has been transferred from National Mineral Development Corporation to the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., it has been decided that the word "NMDC" or "NMDC Ltd" wherever appearing in Col. 5 of Section II against Product Group—"S-Gem Jewellery" may be substituted by the word "MMTC".

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1973

विषय :—अप्रैल 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 49)

संख्या 29-आई टी सी (पी एन)/73—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47–आईटीसी (पी एन)/72 दिनांक 3–4–72 के अन्तर्गत अप्रैल 1972—मार्च 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वाल्यूम 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. चूंकि आरक्षित हीरों के आयात से संबंधित कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है इसलिए, यह निश्चय किया गया है कि खंड 2 के कालम 5 में उपशीर्ष वर्ग "एम–हीरे तथा आभूषण" के सामने जहां कहीं शब्द "राष्ट्रीय खनिज विकास निगम" या "राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०" आए तो उसे शब्द "खनिज तथा धातु व्यापार निगम" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1972—March 1973 (Amendment No. 50).*

No. 29-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Volume II for the period April 1972—March 1973, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972.

2. It has been decided to include the item **"Free Cutting Steel"** in the Annexure to Part C of Section I of Volume II of the aforesaid Policy Book.

विषय :—अप्रैल 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 50)

सं या 2 ९–आई टी० सी० (पी एन)/73.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47–आईटीसी (पी एन)/72, दिनांक 3–4–72 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वाल्यूम 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि मद "फ्री कटिंग स्टील" को उपर्युक्त रैड बुक के वाल्यूम 2 के खंड 1 के भाग सी के अनुबन्ध में शामिल किया जाए।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1972—March 1973 (Amendment No. 51).*

No. 30-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Vol. II for the period April 1972—March 1973 issued under the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972.

2. The following amendment may be made at the appropriate place as indicated below:—

Page No. of the Policy Book, Vol. II	Reference	Amendment
114-115	C.31.1 Col. 4	The existing entry (h) may be amended to read at under:— "(h) Stainless Steel Wires upto 3 m Diameter (25%)".

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—अप्रैल, 1972–मार्च 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 51)

संख्या 30–आई०टी०सी० (पीएन)/73.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47–आई टी सी (पीएन)/72, दिनांक 3–4–72 के अंतर्गत अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं —

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
114–115	सी० 31.1 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (एच) को संशोधित कर निम्नप्रकार से पढ़ा जाए — "(ग) 3 मि० व्यास तक के जंगविरोधी इस्पात तार (25%) ।

के० एस० नारंग,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973